विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2022 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या- 20 का उत्तर।

	प्रश्न	उत्तर
20 (क)	क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम चरवा, तहसील चायल जनपद-कौशाम्बी, में सामूहिक रास्ते को खुलवाये जाने हेतु महेन्द्र नाथ यादव सदस्य विधान सभा का संलग्नकों सहित पत्र, दिनांक 27 जून, 2022 जोकि मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है?	जी हॉ।
(ख)	यदि हॉ, तो क्या उक्त सामूहिक रास्तें को खुलवा दिया गया है?	आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ की आख्यानुसार आवेदक श्री रामसरन के 02 मकान है। एक मकान से दूसरे मकान में एवं सड़क पर जाने के लिए दो खड़ण्जा मार्ग है।एक खड़ण्जा मार्ग कुछ सकरा है, किन्तु दूसरा खड़ण्जा मार्ग काफी चौड़ा है जिससे होकर चार पहिया वाहन भी आसानी से आ-जा सकता है। आवेदक विपक्षी अश्वनी पाण्डेय के सहन भूमि से होकर आने जाने के लिए रास्ते की मांग कर रहा है, किन्तु विपक्षी का कहना है कि आवेदक के आने-जाने हेतु दो खड़ण्जा मार्ग हैं, जिससे होकर वह आ-जा सकता है।धारा-133 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही रास्ते के संबंध में नहीं की गयी है, अपितु 133 (1)(ख) में दी गयी व्यवस्था के तहत विपक्षी श्री अश्वनी पाण्डेय के मकान के सामने आबादी के मध्य रखे माल या पण्य वस्तु यथा गोबर के ढेर व लकडी आदि की गंदगी के बावत धारा-133 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही की गयी है, जिसका वाद संख्या-2238/2022 (सरकार बनाम अश्वनी पाण्डेय) न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, चायल के यहॉ विचाराधीन है।
(ग)	यदि नहीं, तो उक्त सामूहिक रास्ते को कब तक खुलवा दिया जायेगा?	प्रकरण आबादी के मध्य स्थित सहन की भूमि से संबंधित है, जो सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।
(घ)	यदि नहीं, तो क्यों?	उपरोक्तानुसार।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री